न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
राजस्व वाद संख्या 104/2012

1. श्रीमति केलीदेवी पत्नी स्व0 भोमसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र स्व0 श्री भोमसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह
4. बचनसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह

सभी जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम राजोरिया का बाडिया श्यामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर। .....वादीगण

बनाम

1. दिलदार पुत्र स्व0 गुला उर्फ गुलाब मेरात
2. लक्ष्मण पुत्र स्व0 दीना मेरात
3. असराफ पुत्र स्व0 दीना मेरात
4. सोहन पुत्र स्व0 निजाम मेरात
5. भंवर पुत्र स्व0 निजाम मेरात
6. शमशेर पुत्र स्व0 अजमाल मेरात
7. सोहन पुत्र स्व0 अजमाल मेरात
8. जमीला पत्नि मोहन मेरात
9. हसीना पुत्री स्व0 मोहन मेरात
10. देबी पुत्र बहादुर मेरात

समस्त निवासीगण ग्राम लाखीना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 08/05/2017

वादीगण ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम नीमगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा स्थित विवादस्पद आराजी ख0 न0 535/1 रक्बा 1–17–00 बीघा व 535/2 रक्बा 0–17–00 बिस्वा कुल किता 2 रक्बा 2–14–00 बीघा में प्रतिवादीगण के पूर्वज अजमाल पुत्र मेथा मु0 लाडू बेवा चन्दा, बाबू पुत्र कालूसिंह, एवं देबी मेहरात स्वयं खातेदार थे जिन्होने विवादित भूमियों को वादीगण के पति/पिता स्व0 भोमसिंह वल्द कालूसिंह रावत को दिनांक 17.08.1971 जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था तब से भोमसिंह व वादीगण इन पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 10 पर जारी सम्मन पर रिपोर्ट आई कि उन्होनें सम्मन लेने से इन्कार किया। इस पर उन्हे सम्मन जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक भिजवाए गये लेकिन कोई उपस्थित नही आया अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार प्रतिवादी न0 11 ने कोई प्रतिवाद पेश नही किया। शहादत वादी में वादीगण ने अपने शपथ पत्र दाखिल किये जो अभिलेख पर हैं। बहस विव्दान अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली की अवलोकन किया।

प्रदर्श 1 विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1971 जो गुल्ला दीना व निजाम पिता नसीबा द्वारा विवादित आराजी बाबत् वादीगण के पति/पति स्व0 भोमसिंह वल्द कालूसिंह रावत के पक्ष में निष्पादित किया गया है। प्रदर्श 2 ग्राम नीमगढ की जमाबंदी संवत् 2065–2068 के खाता संख्या 8 की प्रमाणित प्रति है जिसमें विवादित आराजी सर्वश्री अजमाल पिता मेथा देवी वल्द बहादुर मु0 लाडू बेवा चन्दा व

बाबू वल्द कालूसिंह मेहरात खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रकरण में पक्षकारान का कुसंयोजन पाया जाता है यदि वादी चाहे तो नया वाद लाने के लिए स्वतंत्र है।

अतः वाद वादीगण सव्यय निरस्त किया जाता है। वाद खर्च वादीगण स्वयं अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 08/05/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.29 15:29:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: